रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022026-270156
CG-DL-E-16022026-270156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947
No. 117] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 123(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो), उप विमानन सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पदों, भर्ती नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) इन नियमों को नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो), उप विमानन सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधित) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) में, उप विमानन सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017, अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (2) में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"115 * (2026)

*कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन";

(ख) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5

(रु. 29200-92300)";

(ग) स्तम्भ (11) में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (रु. 21700-69100) में स्तर-3 में वरिष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक में से, जिन्होंने इस ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** उपर्युक्त प्रावधान केवल मौजूदा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो संवर्ग के कर्मचारियों की करियर प्रगति के लिए प्रदान किया गया है और फीडर ग्रेड में अंतिम पदधारी को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किए जाने तक बना रहेगा। इसके बाद, इन पदों को प्रतिनियुक्ति के तहत कवर किया जाएगा। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):** केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, - *(क)* (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करना; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500-81100) या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष स्तर-4 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच साल की सेवा की हो; और *(ख)* निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले, अर्थात्: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थान के पुलिस या सुरक्षा या खुफिया विभाग में तीन साल का अनुभव।

[फा. सं. A-75/1/2024-कार्मिक-बीसीएएस(ई - 255134)]

असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II , खंड- 3, उप-खंड-(i) में क्रमांक सा.का.नि. 873(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में क्रमांक सा.का.नि.816(अ) दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

G.S.R. 123(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security), Deputy Aviation Security Officer, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security), Deputy Aviation Security Officer, Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security), Deputy Aviation Security Officer, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017, in the Schedule,-

(a) in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" 115* (2026)

*Subject to variation dependent on workload. " ;

(b) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Level -5 in the pay matrix

(Rs. 29200-92300). " ;

(c) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Promotion: From amongst Senior Aviation Security Assistant in level- 3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in the grade. **Note:** The above provision is provided only for career progression of existing Bureau of Civil Aviation Security cadre employees and shall remain till the last incumbent in the feeder grade is promoted to the next higher grade. Thereafter, these posts shall be covered under deputation. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or research institutes,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level -4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelors Degree from a recognised University or institute; and (ii) three years experience in Police or Security or Intelligence department of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised Universities or research institute. ".

[F. No. A-75/1/2024-PERS-BCAS (E- 255134)]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 873(E), dated the 13th July, 2017, and subsequently amended, *vide* number G.S.R. 816(E) dated the 23rd October, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.16 12:15:34 +05'30'